

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक—सह—नोडल पदाधिकारी,
आर.टी.ई. राँची।

पत्रांक: 1066

प्रेषक:

जिला शिक्षा अधीक्षक—सह—
नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई. राँची।

सेवा में,

प्राचार्य,
डी.ए.वी. महात्मा आंनद स्वामी पब्लिक स्कूल,
सिल्ली, राँची।

राँची, दिनांक: 08-04-24

विषय: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत निजी विद्यालय को वर्ग 1 से 8 तक की मान्यता के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक 04 दिनांक 05.04.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत निजी विद्यालय को वर्ग 1 से 8 तक की मान्यता हेतु प्रस्ताव कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अभिलेख एवं संबंधित पदाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण आदि प्रक्रियाधीन है। संबंधित प्रखण्ड के विभागीय पदाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक से जांचोपरांत आपके प्रस्ताव को जिला शिक्षा स्थापना समिति, राँची के समर्क मान्यता पर विचार हेतु रखा जाएगा। ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता शिथिल होने पश्चात् मान्यता देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

PRINCIPAL
DAV M.A.S. Public School
Silli, Ranchi

विश्वासभाजन

०६-०४-२४

जिला शिक्षा अधीक्षक—सह—
नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई.

०६-०४-२४

०६-०४-२४

राँची।